

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री अमोलक चन्द पॉचाल, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, मोईकलां - कोटा जिनकी जन्म तिथि:- 16/04/1959 ने दिनांक 07.02.2018 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 31.07.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है ।

अतः श्री अमोलक चन्द पॉचाल, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, मोईकलां - कोटा प्रन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएं पूर्ण करने पर संबंधी शर्त पूर्ण करते हैं । अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनकी दिनांक 31.07.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत कीजाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित अमोलक चन्द पॉचाल के विरुद्ध आज तक -

- 1^o राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 2^o राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3^o कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक- 26/02/18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) कोटा
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)कोटा
4. प्रधानाचार्य, मोईकलां - कोटा
5. श्री अमोलक चन्द पॉचाल, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, मोईकलां - कोटा
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्रीमती हंसा भण्डारी, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, बा0 अन्ता - बांरा जिनकी जन्म तिथि:- 12/08/1961 ने दिनांक 29.01.2018 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.03.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है ।

अतः श्रीमती हंसा भण्डारी, प्राध्यापक (हिन्दी) बा0अन्ता- बांरा प्रन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ पूर्ण करने पर संबंधी शर्त पूर्ण करते हैं । अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनकी दिनांक 01.03.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत कीजाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित हंसा भण्डारी के विरुद्ध आज तक -

- 1^० राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 2^० राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3^० कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर 26/2/18

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) कोटा
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांरा
4. प्रधानाचार्य, बा0अन्ता- बांरा
5. श्रीमती हंसा भण्डारी, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, बा0 अन्ता - बांरा
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2014

दिनांक- 26/02/18

आदेश

गणेशलाल पालीवाल, प्राध्यापक हिन्दी, साकरोदा- राजसंमंद जिनकी जन्म तिथि:- 22/01/1966 है, का निधन दिनांक :- 31.10.2017 को हो चुका है। अतः गणेशलाल पालीवाल प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 31/10/2017 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित गणेशलाल पालीवाल के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2014

दिनांक- 26/2/18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) राजसंमंद
4. प्रधानाचार्य, साकरोदा- राजसंमंद
5. आश्रित स्व. गणेशलाल पालीवाल प्राध्यापक हिन्दी, साकरोदा- राजसंमंद
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
आदेश**

प्रारूप-8

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम मय पदस्थापन स्थान राजमावि	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	रविन्द्र कुमार शर्मा, सायपुर पाखर- दोसा	05.03.1958	31.03.2018
2	शिव प्रसाद जोशी, सविनाखेडा-उदयपुर	05.03.1958	31.03.2018
3	निर्मला पडया, नगर- बासवाडा	10.03.1958	31.03.2018
4	आशारानी, फतेहगढ- हनुमानगढ	15.04.1958	30.04.2018
5	छीतरमल जाट, बिरानीया- सीकर	23.04.1958	30.04.2018
6	सरोज शर्मा, साहूनगर- स0माधोपुर	01.05.1958	30.04.2018
7	पुरुतोत्तम नारायण शर्मा, खेरली- अलवर	14.05.1958	31.05.2018
8	भंवर लाल जैन, झाडोली- उदयपुर	25.05.1958	31.05.2018
9	मीना शुक्ला, सेवगे की बगीची नत्थूसर गेट, बीकानेर	30.05.1958	31.05.2018
10	तारा शर्मा, खानपुरमेवान- अलवर	01.06.1958	31.05.2018
11	रमेश चन्द्र आमेटा, गुडेल- उदयपुर	02.06.1958	30.06.2018
12	महेश कुमार, ललाना- हनुमानगढ	02.06.1958	30.06.2018
13	विमला शर्मा, रामपुरा भाटियान- जोधपुर	02.06.1958	30.06.2018
14	मधु बोर्दिया, बा0झाडोल फलासिया- उदयपुर	03.06.1958	30.06.2018
15	जीवाराम मीणा, ऋषभदेव- उदयपुर	05.06.1958	30.06.2018
16	दया शर्मा, उमरी- स0माधोपुर	11.06.1958	30.06.2018
17	कमरुद्दीन, डाबडी धीरसिंह- झुंझुनु	13.06.1958	30.06.2018
18	मिथलेश चतुर्वेदी, करौली- करौली	16.06.1958	30.06.2018
19	कमल कुलश्रेष्ठ, सोगरिया- कोटा	20.06.1958	30.06.2018
20	दामोदर प्रसाद दाधीच, बाबई- बूंदी	26.06.1958	30.06.2018
21	पुरखाराम, गुडामगवानदास- नागौर	01.07.1958	30.06.2018
22	गोरधन लाल बलाई, कासीर- अजमेर	01.07.1958	30.06.2018
23	मधु माथुर, केन्द्रीय बा0 उमावि अजमेर	01.07.1958	30.06.2018
24	ओम प्रकाश जाट, बालेर- स0माधोपुर	01.07.1958	30.06.2018
25	उषा किरण ओझा, बा0गुलमण्डी- भीलवाडा	01.07.1958	30.06.2018
26	गिरधर गोपाल पारीक, रूपनगर- अजमेर	01.07.1958	30.06.2018
27	शान्ति देवी शर्मा, नैनवा- बूंदी	01.07.1958	30.06.2018
28	परमेश्वर लाल भाटी, सिंधाना- झुंझुनु	02.07.1958	31.07.2018
29	टीकम चन्द, आचार्य श्रीभिक्षु- सिरियारी- पाली	03.07.1958	31.07.2018
30	इन्दुप्रभा पुरोहित, बा0 शाहपुरा- भीलवाडा	05.07.1958	31.07.2018
31	पुरुषोत्तम लाल शर्मा, हिण्डौन सिटी- करौली	05.07.1958	31.07.2018
32	बंशीलाल अहारी, मातरवास- उदयपुर	07.07.1958	31.07.2018
33	हीरा लाल अटारिया, खटवाडा- भीलवाडा	08.07.1958	31.07.2018
34	रौताराम जागीड़, नांगल- सीकर	08.07.1958	31.07.2018
35	श्रीनारायण, तालेडा- बूंदी	08.07.1958	31.07.2018
36	अंगूरी बाई, हिण्डौन सिटी- करौली	11.07.1958	31.07.2018
37	दया शंकर पारीक, अटबडा- पाली	12.07.1958	31.07.2018
38	सुलतान सिंह, सिवाणा- बाडमेर	15.07.1958	31.07.2018
39	कल्याण सहाय शर्मा, डोरौली- अलवर	15.07.1958	31.07.2018
40	दशरथ कुमार दुलानी, ईस्माईलपुर- अलवर	28.07.1958	31.07.2018
41	भंवरलाल खेमादा, टालनपुर- नागौर	01.08.1958	31.07.2018
42	भंवरलाल शर्मा, मंगाल- बूंदी	01.08.1958	31.07.2018
43	लक्ष्मीनारायण शर्मा, खेडलीगुर्जर- करौली	02.08.1958	31.08.2018
44	चुन्नीलाल पुरोहित, डूंगरी-रानीवाडा- जालौर	02.08.1958	31.08.2018
45	हरिराम, गुगागरा- सीकर	05.08.1958	31.08.2018
46	लीला शर्मा, हाथीखेडा- अजमेर	13.08.1958	31.08.2018
47	भंवर लाल सुथार, टोडा- उदयपुर	15.08.1958	31.08.2018

(Handwritten Signature)

48	गुमान सिंह पंवार, बनजारी- अजमेर	15.08.1958	31.08.2018
49	रामगोपाल शर्मा, खानोर- भीलवाडा	10.09.1958	30.09.2018
50	माघा भारती, केशवना- जालोर	25.09.1958	30.09.2018
51	माया त्रिवेदी, कल्याणपुर- उदयपुर	04.10.1958	31.10.2018
52	राजहंस गुर्जर, गुडला- करौली	05.10.1958	31.10.2018
53	रामफूल जाटव, चैनपुर- करौली	01.11.1958	31.10.2018
54	रामकरण-कुम्हार, छोटी बिजौलिया- भीलवाडा	07.11.1958	30.11.2018
55	नीलम कौर, बा0 धूधरा- अजमेर	07.12.1958	31.12.2018
56	रमाकान्त मिश्रा, बारामडकोल- अलवर	13.12.1958	31.12.2018
57	कैलाशचन्द्र नाई, पाल- उदयपुर	25.12.1958	31.12.2018
58	विजयलक्ष्मी चतुर्वेदी, करौली-करौली	27.12.1958	31.12.2018
59	सुशीला भाणावत, खैरादा- भिण्डर- उदयपुर	01.01.1959	31.12.2018
60	श्याम लाल आर्य, राजेन्द्र मार्ग- भीलवाडा	01.01.1959	31.12.2018
61	कन्हैयालाल सैनी, जीलो- सीकर	02.01.1959	31.01.2019
62	दिनेश चन्द्र त्रिवेदी- भूधर- उदयपुर	03.01.1959	31.01.2019
63	देवी शंकर शर्मा, अमरवासी- भीलवाडा	05.01.1959	31.01.2019
64	स्नेहलता श्रोत्रिय, रामपुरिया माण्डल-भीलवाडा	18.01.1959	31.01.2019
65	इन्द्रजीत कौर, भिनाय- अजमेर	20.01.1959	31.01.2019
66	हरीश चन्द्र, कंचनपुरा- सीकर	10.02.1959	28.02.2019
67	अशोक कुमार त्रिवेदी, छाणी- उदयपुर	04.03.1959	31.03.2019
68	चन्द्र प्रकाश जैन, मसारा की ओबरी- उदयपुर	12.03.1959	31.03.2019
69	उषा जोशी, बा0 भिनाय- अजमेर	22.03.1959	31.03.2019
70	अश्वनी कुमार, सूरवाल- स0माधोपुर	26.03.1959	31.03.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(निथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक : 26/2/18

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2017-18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को सेवानिवृत्त करने से पूर्व उपरोक्त प्रमाणिकरण की भलिभाति जांच करें।
5. संबंधित कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान-सरकार

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) (राजनीति विज्ञान) के रूप में नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय / संस्था में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) एवं समकक्ष मय पदस्थापन स्थान (राउमावि) श्री/सुश्री/श्रीमती	जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	मंजू शर्मा, राउमावि सल्लोपाट,	बांसवाडा	31.03.1958	31.03.2018
2.	मोहननाथ सिद्ध, राउमावि पाँचौडी	नागौर	05.03.1958	31.03.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।



(नंथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवानिवृत्ति/2017-18/2017

दिनांक:-27/2/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा
5. संबंधित संस्था प्रधान.....
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर